

राष्ट्रीय उद्यान (भाग-1)



परिचय

- पारिस्थितिकी, प्राणिजगत, वनस्पति, भू-आकृति अथवा जंतु जगत संबंधी महत्व को संरक्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान/नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।
- इन क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 के तहत सुरक्षा प्राप्त होती है।
- राष्ट्रीय उद्यान के भीतर राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा WPA में उल्लिखित शर्तों के तहत प्रदान की गई अनुमति के अलावा, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है।

तथ्य

- हेमिस राष्ट्रीय उद्यान (लद्दाख): दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा। इसे हिम तेंदुओं की वैशिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है।
- जिम कॉबेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखण्ड): भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट टाइगर (1973) की शुरुआत यही से हुई।
- मछली राष्ट्रीय उद्यान (शाजस्थान): भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-park-part-1>

